



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-टी.एल.-अ.-13032026-270924
CG-TL-E-13032026-270924

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 12, 2026/फाल्गुन 21, 1947

No. 1243]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 12, 2026/PHALGUNA 21, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण मध्य रेलवे)

अधिसूचना

सिकंदराबाद, 12 मार्च, 2026

का.आ. 1300(अ).— रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (7ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा रेल मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना का.आ.4166 (ई) दिनांक 20 सितंबर, 2024 में निम्नलिखित संशोधन करती है, जो नीचे दी गई तालिका के कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारी को तालिका के कॉलम(2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजना के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के कार्यों को करने के लिए अधिकृत करती है, उक्त तालिका के कॉलम (3) में उल्लिखित राज्य में निष्पादन, रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के लिए, आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगा।

यह बताया जाता है कि, आंध्र प्रदेश राज्य में जिलों का पुनर्गठन और अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन के कारण, गूडूर मंडल, जो पहले तिरुपति जिले में था, अब एसपीएसआर नेल्लोर जिले में आता है. इसलिए, नीचे बताए गए विशेष रेल परियोजना के संबंध में गूडूर मंडल में आने वाली भूमि के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ), गूडूर होंगे.

तथापि, इस परियोजना के लिए तिरुपति जिले के अंतर्गत आने वाले शेष मंडलों के लिए, संयुक्त कलक्टर, तिरुपति, भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) का काम करते रहेंगे, जैसा कि पहले अधिसूचित का.आ. 4166(ई) दिनांक 20 सितंबर, 2024 में बताया गया था.

सारणी

क्र.सं.	विशेष रेलवे परियोजना	राज्य	जिला	सक्षम अधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	गूडूर – रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 कि.मी.)	आंध्र प्रदेश	तिरुपति	संयुक्त कलक्टर, तिरुपति
2.	गूडूर – रेणिगुंटा स्टेशनों के बीच तीसरी लाइन (83.17 कि.मी.)— केवल गूडूर मंडल के लिए	आंध्र प्रदेश	एसपीएसआर नेल्लोर	राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ), गूडूर

[फा. सं. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/7A/I]
के. सूर्यनारायण, मुख्य इंजीनियर / निर्माण-III

MINISTRY OF RAILWAYS
(South Central Railway)

NOTIFICATION

Secunderabad, the 12th March, 2026

S.O. 1300(E).—In exercise of the powers conferred by clause (7A) of section 2 of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby makes the following modification in the notification S.O. 4166(E) dated 20th September, 2024, issued by the Ministry of Railways, authorizing the officer mentioned in column (5) of the Table below to perform the functions of the Competent Authority in respect of the Special Railway Project mentioned in column (2) of the Table, for execution, maintenance, management and operation in the State mentioned in column (3) of the said Table, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

It is hereby notified that, consequent upon the reorganization of districts and jurisdictional changes in the State of Andhra Pradesh, Gudur Mandal, which was earlier under Tirupati District, now falls under SPSR Nellore District. Accordingly, the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) for the lands falling in Gudur Mandal in respect of the Special Railway Project mentioned below shall be the Revenue Divisional Officer (RDO), Gudur.

However, for the remaining mandals falling under Tirupati District for the said project, the Joint Collector, Tirupati shall continue to perform the functions of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA) as notified earlier in S.O. 4166(E) dated 20th September, 2024.

TABLE

Sl.No.	Special Railway Project	State	District	Competent Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Third line between Gudur – Renigunta stations (83.17 Km)	Andhra Pradesh	Tirupati	Joint Collector, Tirupati
2.	Third line between Gudur – Renigunta stations (83.17 Km) – for Gudur Mandal only	Andhra Pradesh	SPSR Nellore	Revenue Divisional Officer (RDO), Gudur

[F.No. W.Con.182/SRP-18/GDR-RU/24-25/268/7A/I]
K. SURYANARAYANA, Chief Engineer/Con-III